भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2145

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के कच्चे माल के आयात पर निर्भरता

2145. डॉ.मल्लू रवि:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल के भू-राजनीतिक तनावों तथा वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों का देश की उर्वरक सब्सिडी आवश्यकता, आयात लागत तथा घरेलू उर्वरक उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वैश्विक कीमतों में तीव्र वृद्धि संबंधी रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए यूरिया, डीएपी, अमोनिया तथा अन्य प्रमुख कच्चे माल पर उर्वरक सब्सिडी हेतु बजटीय आवंटन की पर्याप्तता की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयातित उर्वरकों तथा उर्वरक कच्चे माल पर निर्भरता तथा उसके खरीफ एवं रबी मौसम के दौरान देश में उर्वरकों की उपलब्धता पर इसके संभावित प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तेलंगाना सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार आयात पर निर्भरता तथा उर्वरक सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन में तेजी लाने, आयात स्रोतों में विविधीकरण करने, उर्वरकों का कार्यनीतिक भंडार विकसित करने तथा नैनो एवं वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): हाल ही में, भू-राजनीतिक तनावों ने उर्वरकों और प्रमुख कच्चे माल के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया, जिससे माल भाड़ा और बीमा लागत, शिपमेंट में देरी और मूल्य अस्थिरता में वृद्धि हुई। तथापि, देश में उर्वरक उपलब्धता काफी हद तक विविध सोर्सिंग और सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से पर्याप्त बनी रही। सरकार ने विभिन्न देशों से खरीद के अवसरों की खोज करके आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए उपाय किए हैं। इसके अलावा, उर्वरक उद्योग ने पारदर्शी मूल्य खोज सुनिश्चित करने, वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करने और उर्वरकों और कच्चे माल की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से एक उद्योग संघ के माध्यम से उर्वरकों और कच्चे माल की खरीद भी की है।

(ख): उर्वरक सब्सिडी के लिए बजटीय आवंटन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसके आधार पर, आवश्यकता होने पर, मौजूदा प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त बजटीय आवंटन की मांग करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

(ग): भारत अपनी उर्वरक की आवश्यकता को घरेलू उत्पादन और आयात के माध्यम से पूरी करता है। घरेलू उत्पादन और खपत के बीच के अंतर को पाटने के लिए आयात किया जाता है। उर्वरकों, प्राकृतिक गैस, अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट, सल्फर और पोटाश पर भारत की अनुमानित आयात निर्भरता नीचे दी गई है:

क्र.सं.	**उर्वरक/फीडस्टॉक/कच्चा माल/मध्यवर्तियां**	**भारत की आयात पर निर्भरता (%)**
1	यूरिया	25-26
2	डीएपी	60-65
3	एनपी/एनपीकेएस	20-25
4	प्राकृतिक गैस	70-80
5	अमोनिया (डीएपी/एनपी/एनपीकेएस के लिए)	70-75
6	फॉस्फोरिक एसिड	50-55
7	रॉक फॉस्फेट	85-90
8	सल्फर	50-70
9	पोटाश (पोटाश का म्यूरेट)	100

प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। इस आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है। देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है। यूरिया तथा अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है जिसे मौसम के लिए समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काफी पहले अंतिम रूप दे दिया जाता है। राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें और सरकार पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और राज्यों के लिए रेकों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं। राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार, रबी मौसम 2025-26 और चल रहे खरीफ मौसम 2026 (दिनांक 01.04.2026 से 26.07.2026) के दौरान तेलंगाना सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही। उक्त अवधि के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ): उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और वैश्विक बाजार व्यवधानों से उत्पन्न अनियमितताओं को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ बातचीत के माध्यम से विभिन्न देशों से खरीद के अवसरों की खोज करके आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए उपाय किए हैं।

सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

यूरिया:

- सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और इसके 2014 संशोधन की घोषणा की थी। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं (4 नामित पीएसयू की संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से और 2 निजी कंपनियों द्वारा। इनमें से प्रत्येक इकाई की स्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। इन इकाइयों ने मिलकर 76.2 एलएमटीपीए की यूरिया उत्पादन क्षमता जोड़ी है, जिससे कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्मूल्यांकित क्षमता, आरएसी) 2014-15 एलएमटीपीए के दौरान 207.54 एलएमटीपीए से बढ़कर 2026-27 में 269.42 एलएमटीपीए हो गई है।

- कोयला गैसीकरण मार्ग पर 12.7 एलएमटीपीए के नए ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र की स्थापना करके नामित पीएसयू, अर्थात् तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) की संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति को भी मंजूरी दी गई है।

- इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), असम के मौजूदा परिसर के भीतर संयुक्त उद्यम के माध्यम से 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया की वार्षिक क्षमता वाले असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के रूप में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

- इसके अलावा, सरकार ने आरएसी से अधिक स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य के साथ मौजूदा 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 को 25 मई, 2015 को अधिसूचित किया। एनयूपी-2015 से 2014-15 की तुलना में प्रतिवर्ष 20-25 एलएमटी अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन हुआ है।

उपर्युक्त उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान रहे 225 एलएमटी प्रति वर्ष के स्तर से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है तथा वर्ष 2025-26 के दौरान देश में 293.30 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ।

इसके अलावा, 15.07.2026 को, सीसीईए ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेशों को करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति (एनआईपीयू) - 2026 को मंजूरी दी है।

पीएंडके उर्वरक:

- सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया जाता है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार- चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

- एमआरपी की तर्कसंगतता पर दिनांक 18.01.2024 को जारी दिशानिर्देश के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए के लिए उपाय किए गए हैं, जिसमें आयातकों/उत्पादकों और एकीकृत उत्पादकों को क्रमशः 8%/10% और 12% का उचित लाभ दिया जाता है।
- अनुरोधों के आधार पर, एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है।
- एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़कर 28 ग्रेड हो गई है।
- मृदा में फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर मालभाड़ा सब्सिडी, खरीफ, 2022 से लागू की गई है।
- इसके अलावा, एनबीएस स्कीम के तहत उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पोषक तत्वों की दरें द्विवार्षिक आधार पर तय की जाती हैं।

वैकल्पिक उर्वरक: नैनो और ग्रीन अमोनिया

(i) नैनो उर्वरक

क. देश भर के किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- नैनो यूरिया के उपयोग को विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता शिविरों, वेबिनार, क्षेत्रीय प्रदर्शनों, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।
- नैनो उर्वरक और नैनो डीएपी संबंधित कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- पर्ण अनुप्रयोग के माध्यम से नैनो यूरिया जैसे नैनो उर्वरकों के सहज अनुप्रयोग और उपयोग के लिए, 'किसान ड्रोन' जैसे अभिनव छिड़काव विकल्प और खुदरा बिक्री केन्द्रों पर बैटरी संचालित स्प्रेयर के वितरण जैसी पहल की गई हैं। इस उद्देश्य के लिए, ग्राम स्तर के उद्यमियों के माध्यम से पायलट प्रशिक्षण और कस्टम हायरिंग छिड़काव सेवाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है।

ख. राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपाय:

- गुजरात सरकार इन उन्नत उर्वरकों को अपनाने के लिए किसानों को एक विशेष समर्थन पहल के तहत नैनो उर्वरकों पर 50% सब्सिडी प्रदान करती है।

- राजस्थान सरकार नैनो उर्वरकों के छिड़काव के लिए छिड़काव लागत पर 50% की सब्सिडी प्रदान करती है।

- उत्तराखंड सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्कीमों (एटीएमए, एनएफएसएम और मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता) और राज्य प्रायोजित स्कीमों (मुख्यमंत्री राज्य विकास स्कीम और राज्य मिलेट नीति) के तहत प्रदर्शनों में नैनो उर्वरकों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।

- ओडिशा सरकार निम्नलिखित राज्य सरकार की स्कीमों के तहत नैनो उर्वरकों के उपयोग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है:

क्र.सं.	**स्कीम**	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**नैनो उर्वरक**	**प्रोत्साहन राशि (रु/हेक्टेयर)**
1	एनएफएसएनएम (खाद्य अनाज) 2026-27	4126	नैनो यूरिया	500
		2093	नैनो डीएपी	1000
2	दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन 2026-27	15625	नैनो डीएपी	1000
3	मुख्यमंत्री मक्का मिशन (राज्य योजना) 2026-27	9000	नैनो डीएपी	1000
		1500	नैनो यूरिया	1000
		50	नैनो यूरिया	500
4	कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन (राज्य योजना) 2026-27	5000	नैनो डीएपी	1200
5	आईएपी पल्स (राज्य योजना)	7590	नैनो डीएपी	1000

ग. नैनो उर्वरक उत्पादकों द्वारा किए गए उपाय:

- नैनो उर्वरक उत्पादकों ने प्रमुख कृषि राज्यों में नैनो उर्वरकों को अपनाने के लिए व्यापक जागरूकता और प्रचार गतिविधियां शुरू की हैं। इनमें किसानों की बैठकें, फसल सेमिनार, फील्ड प्रदर्शन, फील्ड दिवस और उत्पाद उपयोग, पोषक दक्षता, लागत लाभ और फसल प्रदर्शन पर किसानों को शिक्षित करने के लिए संस्थागत परीक्षण शामिल हैं।
- नैनो उर्वरक उत्पादकों ने नैनो उर्वरकों के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रसार कार्यकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और अन्य हितधारकों के लिए अनुसंधान, फील्ड परीक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य कृषि विभागों के साथ भी भागीदारी की है।
- जागरूकता को और बढ़ाने के लिए, कंपनियों ने टेलीविजन अभियान, किसान मेलों, कृषि प्रदर्शनियों, भित्ति चित्रों, होर्डिंग, डीलर प्रदर्शन, मोबाइल अभियान, मुद्रित साहित्य और यूट्यूब और फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। किसान गोष्ठियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा गतिविधियों और ग्राम-स्तरीय अभियानों सहित विशेष आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।
- इफको और कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएल) जैसे उत्पादकों ने सूचित किया है कि बातचीत और प्रशंसापत्रों के माध्यम से किसानों की प्रतिक्रिया एकत्र की गई है। कंपनियों के अनुसार, किसानों ने आम तौर पर नैनो उर्वरकों के साथ सकारात्मक अनुभव की सूचना दी है और उनका उपयोग जारी रखने की इच्छा दिखाई है।

(ii) ग्रीन अमोनिया

सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन अमोनिया के घरेलू उत्पादन और खरीद को प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (साइट) स्कीम उर्वरक क्षेत्र के लिए ग्रीन अमोनिया की मांग एकत्रीकरण और खरीद पर केंद्रित है, जिसके तहत डीएपी/एनपीके उर्वरकों के उत्पादन के लिए उर्वरक कंपनियों द्वारा प्रति वर्ष लगभग 7 एलएमटी ग्रीन अमोनिया की खरीद का प्रावधान किया गया है। उर्वरक कंपनियों और भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) के बीच 10 वर्षों के लिए 30 मार्च 2026 को ग्रीन अमोनिया आपूर्ति समझौते (जीएएसए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उर्वरक कंपनियों को ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति जीएएसए पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 3 साल बाद शुरू होगी। हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, ग्रीन अमोनिया और ग्रे अमोनिया की लागत के बीच की अंतर राशि उर्वरक विभाग द्वारा वहन की जाएगी।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2145 के उत्तर के भाग (ग) से संबंधित है।

चल रहे खरीफ़ मौसम 2026 (01.04.2026 से 26.07.2026 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकडे एलएमटी में

		यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	26.07.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	26.07.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	26.07.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	26.07.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3.64	6.64	2.80	3.84	0.78	1.73	0.84	0.89	0.39	0.73	0.32	0.42	2.10	6.65	2.70	3.96
3	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.32	2.12	1.71	0.41	0.20	0.41	0.27	0.14	0.14	0.43	0.20	0.22	0.14	0.28	0.11	0.18
5	बिहार	4.62	8.15	3.56	4.60	1.59	2.29	0.92	1.37	0.84	0.83	0.13	0.70	1.88	3.28	0.75	2.53
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ	5.88	7.48	5.20	2.28	2.49	1.98	1.45	0.53	0.63	0.82	0.52	0.30	2.00	2.30	1.61	0.70
8	दादरा और नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.02	0.09	0.08	0.01	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00
12	गुजरात	6.20	8.55	5.93	2.62	2.54	2.28	1.64	0.65	0.31	0.41	0.21	0.20	3.42	4.26	2.35	1.91
13	हरियाणा	6.38	9.89	7.77	2.13	1.30	1.63	1.20	0.44	0.42	0.38	0.14	0.24	0.33	0.43	0.16	0.27
14	हिमाचल प्रदेश	0.17	0.42	0.28	0.15	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01	0.09	0.09	0.06	0.03
15	जम्मू और कश्मीर	0.60	1.15	0.78	0.36	0.18	0.29	0.19	0.10	0.08	0.15	0.11	0.04	0.01	0.06	0.02	0.04
16	झारखंड	1.44	2.15	1.09	1.06	0.43	0.41	0.25	0.16	0.04	0.06	0.01	0.05	0.53	0.60	0.28	0.31
17	कर्नाटक	6.58	8.93	4.85	4.08	2.76	3.27	2.38	0.89	1.33	1.60	0.80	0.81	7.61	12.42	7.13	5.30
18	केरल	0.32	0.66	0.41	0.25	0.07	0.18	0.10	0.08	0.22	0.44	0.30	0.15	0.52	0.59	0.34	0.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	10.42	14.99	9.65	5.34	3.34	3.37	2.30	1.07	0.78	0.61	0.28	0.33	4.38	6.78	3.67	3.12
21	महाराष्ट्र	10.32	14.56	9.35	5.21	3.47	3.70	2.69	1.01	0.88	1.83	0.89	0.94	11.96	21.74	12.19	9.55
22	मणिपुर	0.11	0.18	0.12	0.06	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिज़ोरम	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	2.97	4.29	1.93	2.36	1.33	1.60	0.91	0.70	0.59	0.79	0.24	0.55	1.82	2.28	0.94	1.34
27	पुदुचेरी	0.04	0.06	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.03	0.02
28	पंजाब	12.10	15.47	12.29	3.18	1.55	2.45	1.37	1.08	0.58	0.64	0.22	0.42	0.49	0.50	0.19	0.31
29	राजस्थान	6.42	10.97	7.65	3.32	3.07	2.66	1.99	0.66	0.05	0.14	0.05	0.09	0.74	1.39	0.67	0.72
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	2.72	4.66	3.01	1.65	0.80	1.10	0.59	0.51	0.61	0.72	0.41	0.31	2.72	3.86	2.04	1.82
32	तेलंगाना	7.26	7.88	4.27	3.61	2.04	1.93	1.62	0.31	0.57	0.54	0.15	0.39	7.18	7.68	4.49	3.18
33	त्रिपुरा	0.05	0.13	0.05	0.08	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
34	उत्तराखंड	0.71	0.96	0.74	0.22	0.15	0.30	0.15	0.15	0.04	0.05	0.01	0.05	0.12	0.04	0.02	0.02
35	उत्तर प्रदेश	25.04	35.11	19.97	15.14	5.29	8.80	3.88	4.93	1.51	1.38	0.24	1.13	2.09	6.42	1.41	5.02
36	पश्चिम बंगाल	3.45	7.48	3.48	4.00	0.83	1.38	0.60	0.79	0.81	1.52	0.41	1.11	2.13	5.76	1.91	3.86
	अखिल भारत	**118.81**	**173.06**	**107.07**	**66.01**	**34.28**	**41.90**	**25.40**	**16.50**	**10.86**	**14.14**	**5.65**	**8.51**	**52.34**	**87.57**	**43.09**	**44.48**

1. सुविधाजनक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता
2. सुविधाजनक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2145 के उत्तर के भाग (ग) से संबंधित है।

रबी मौसम 2025-26 के दौरान उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकडे एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	9.38	11.71	9.56	2.20	3.78	2.89	1.00	1.35	0.96	9.50	12.61	9.14
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.65	2.79	2.26	0.28	0.68	0.45	0.36	0.51	0.28	0.35	0.36	0.21
5	बिहार	13.50	17.37	14.59	3.90	6.13	4.66	1.50	1.83	1.40	3.50	5.69	3.58
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ	2.88	5.17	2.56	1.00	2.16	1.11	0.50	0.64	0.14	0.60	2.15	0.38
8	दादरा और नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.15	0.15	0.11	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
12	गुजरात	13.90	15.91	13.94	2.90	3.41	2.91	0.64	0.77	0.56	4.50	5.83	3.93
13	हरियाणा	11.60	14.77	11.88	2.70	3.35	2.70	0.30	0.38	0.14	1.20	0.52	0.25
14	हिमाचल प्रदेश	0.33	0.59	0.44	0.01	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.26	0.26	0.17
15	जम्मू और कश्मीर	0.68	1.33	0.69	0.24	0.41	0.22	0.13	0.24	0.09	0.02	0.04	0.01
16	झारखंड	1.20	1.81	1.30	0.25	0.67	0.47	0.02	0.04	0.02	0.30	0.51	0.25
17	कर्नाटक	7.60	10.48	7.78	1.98	4.19	2.49	0.97	1.76	0.98	7.20	13.52	7.67
18	केरल	0.62	0.71	0.55	0.08	0.20	0.11	0.50	0.60	0.40	0.61	0.95	0.61
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	23.00	28.90	24.17	7.50	7.62	6.00	1.00	1.02	0.58	11.50	8.63	5.09
21	महाराष्ट्र	11.25	16.65	11.55	2.60	4.96	2.71	1.50	1.78	0.96	12.00	23.14	10.84
22	मणिपुर	0.09	0.12	0.07	0.01	0.03	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
23	मेघालय	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.90	3.65	1.96	0.75	1.46	0.82	0.25	0.57	0.21	0.90	1.63	0.81
27	पुदुचेरी	0.08	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.08	0.05
28	पंजाब	15.00	19.43	15.45	4.50	5.77	4.30	0.60	0.70	0.29	1.50	1.01	0.63
29	राजस्थान	15.00	20.73	16.85	3.33	4.57	3.76	0.10	0.15	0.10	1.50	1.85	1.17
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	6.50	7.74	6.37	1.55	2.16	1.60	1.80	1.39	1.06	5.14	7.17	4.82
32	तेलंगाना	10.40	12.01	11.15	1.45	2.55	2.00	0.65	0.93	0.60	7.00	9.47	5.78
33	त्रिपुरा	0.10	0.15	0.08	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	0.01	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	1.01	1.34	1.06	0.15	0.44	0.26	0.05	0.06	0.02	0.20	0.12	0.08
35	उत्तर प्रदेश	40.00	51.51	40.14	14.00	17.60	12.55	1.50	2.25	1.26	7.50	11.16	6.37
36	पश्चिम बंगाल	8.20	12.43	8.76	1.99	3.19	2.37	2.20	2.54	1.53	7.00	10.66	7.01
	अखिल भारत	**196.06**	**257.59**	**203.39**	**53.43**	**75.41**	**54.47**	**15.69**	**19.63**	**11.62**	**82.38**	**117.43**	**68.88**